राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अधीन आवासीय इकाइयों के संबंध में विकासकर्ता और आवंटिती के मध्य निष्पादित, कब्जे के साथ या कब्जे के बिना विक्रय करार की लिखत पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस घटाई जायेगी और एक हजार रुपये प्रभारित की जायेगी।

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-196]
राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण गुप्ता,
शासन सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that registration fees chargeable on the instrument of agreement to sale with or without possession executed between the developer and allottee in respect of dwelling units under the Chief Minister's Jan Awas Yojana-2015 shall be reduced and charged rupees one thousand.

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-196]
By order of the Governor,

(Praveen Gupta)
Secretary to the Government